न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

नम्बर 52 / 2022 दायर दिनांक–05.04.2022

श्योलसिंह उर्फ शिवनाथसिंह पुत्र अमरसिंह उम्र 65 वर्ष

छित्तरसिंह उर्फ छत्तुसिंह पुत्र मूलसिंह उम्र 50 वर्ष

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोठडा पुलिस थाना नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)। मो

.......वादीगण

बनाम

1– शंकरसिंह पुत्र मूलसिंह, पौत्र बाघसिंह
2– गणेशसिंह पुत्र मूलसिंह, पौत्र बाघसिंह
3– विक्रम सिंह पुत्र रेवतसिंह, पौत्र मूलसिंह
4– ज्ञान कंवर पत्नी रेवतसिंह, पौत्री मूलसिंह
5– फुल कंवर पुत्री रेवतसिंह, पौत्री मूलसिंह
6– दिलबर कंवर पुत्री रेवतसिंह, पौत्री मूलसिंह
7– नत्थू कंवर पुत्री अमरसिंह, पौत्री बाघसिंह
8– पृथ्वीसिंह पुत्र नाहरसिंह, पौत्र भंवरसिंह
9– श्योपालसिंह पुत्र नाहरसिंह, पौत्र भंवरसिंह
10– दीपसिंह पुत्र नाहरसिंह, पौत्र भंवरसिंह
11– श्रवणसिंह पुत्र नाहरसिंह, पौत्र भंवरसिंह
12– पारस कंवर पुत्री नाहरसिंह, पौत्री भंवरसिंह
13– सुप्यार कंवर पत्नी नाहरसिंह, पुत्रवधु भंवरसिंह
14– दलिपसिंह पुत्र बद्रीसिंह, पौत्र भंवरसिंह
15– गिरवरसिंह पुत्र बद्रीसिंह, पौत्र भंवरसिंह
16– सुरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, पौत्र बद्रीसिंह
17– किशनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
18– सोहन कंवर पत्नी भगवानसिंह, पुत्रवधु लक्ष्मणसिंह
19– मनोजसिंह पुत्र रामसिंह, पौत्र लक्ष्मणसिंह
20– गोपी कंवर पुत्री रामसिंह, पौत्री लक्ष्मणसिंह
21– पार्वती कंवर पुत्री रामसिंह, पौत्री लक्ष्मणसिंह
22– संतोष कंवर पुत्री रामसिंह, पौत्री लक्ष्मणसिंह
23– रसाल कंवर पत्नी रामसिंह, पुत्रवधु लक्ष्मणसिंह
24– मूलसिंह पुत्र हरिसिंह, पौत्र जोरसिंह
25– देवीसिंह पुत्र हरिसिंह, पौत्र जोरसिंह
26– धूडसिंह पुत्र हरिसिंह, पौत्र जोरसिंह
27– छितरसिंह उर्फ छतुसिंह पुत्र सवाईसिंह, पौत्र हरिसिंह
28– किशोरसिंह पुत्र नत्थूसिंह, पौत्र जोरसिंह
29– सग्रामसिंह पुत्र केशरसिंह, पौत्र नत्थूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

जवालसिंह पुत्र केशरसिंह, पौत्र नत्थूसिंह – प्रभूसिंह पुत्र केशरसिंह, पौत्र नत्थूसिंह – विमला कंवर पत्नी केशरसिंह – करणीसिंह पुत्र शिवनाथसिंह, पौत्र जैससिंह 4– सुमेरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह, पौत्र जैससिंह 5– शेरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह, पौत्र जैससिंह 6– मरूधर कंवर पुत्री शिवनाथसिंह, पौत्री जैससिंह 7– राजू कंवर पुत्री शिवनाथसिंह, पौत्री जैससिंह 8– प्रेम कवर पत्नी शिवनाथसिंह 9– गजेन्द्रसिंह पुत्र जगुसिंह, पौत्र जैससिंह 0– सुरेन्द्रसिंह पुत्र जगुसिंह, पौत्र जैससिंह 1– बिल्लू कंवर पुत्री जगुसिंह, पौत्री जैससिंह 2– सायर कंवर पत्नी कल्याणसिंह, पुत्रवधु जैससिंह 3– भॅवरी कंवर पुत्री कल्याणसिंह, पौत्री जैससिंह 4– नारायणसिंह पुत्र रूपसिंह, पौत्र भूरसिंह 5– शंकर कंवर पत्नी रामनाथसिंह, पुत्रवधु नन्दूसिंह 46– शिवनाथसिंह पुत्र नन्दूसिंह, पौत्र रूपसिंह 47– शंकरसिंह पुत्र नन्दूसिंह, पौत्र रूपसिंह 48– गिरधारीसिंह पुत्र नन्दूसिंह, पौत्र रूपसिंह 49– जगनाथसिंह पुत्र नन्दूसिंह, पौत्र रूपसिंह 50– इन्द्र कंवर पुत्री नन्दूसिंह, पौत्री रूपसिंह 51– रणवीरसिंह पुत्र मूलसिंह, पौत्र रूपसिंह 52– महावीरसिंह पुत्र मूलसिंह, पौत्र रूपसिंह 53– सुजाता कंवर पुत्री रघुवीरसिंह, पौत्री मूलसिंह 54– रिधिका कंवर पुत्री रघुवीरसिंह, पौत्री मूलसिंह 55– संतोष कंवर पत्नी रघुवीरसिंह	समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोटडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
56– गोविन्दसिंह पुत्र समानसिंह, पौत्र रूपसिंह 57– गोपालसिंह पुत्र समानसिंह, पौत्र रूपसिंह 58– अचरज कंवर पत्नी समानसिंह 59– बजरंगसिंह पुत्र भोपालसिंह, पौत्र रूपसिंह 60– मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह, पौत्र रूपसिंह 61– किशनसिंह पुत्र भोपालसिंह, पौत्र रूपसिंह 62– सुप्यार कंवर पत्नी भोपालसिंह 63– बजरंगसिंह पुत्र राजूसिंह, पौत्र लादूसिंह 64– उछन कंवर पुत्री राजूसिंह, पौत्री लादूसिंह 65– कैलाश कंवर पुत्री राजूसिंह, पौत्री लादूसिंह 66– विरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र महेन्द्रसिंह शेखावत	समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

67– उप–पंजीयक नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

68– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. डी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

—प्रतिवादीगण

कील वादी : — श्री दयाराम सैनी
कील प्रतिवादी :— एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा तथा शुरू से ही शुन्य व
बेअसर किये जाने नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2020
व निरस्त करने नामान्तकरण सं0 2124 दिनांक 06.01.2021

—:: निर्णय ::—

दिनांक—21.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद—पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोन्धित की जायेगी। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 65 की शामलाती कब्जाकाश्त, हक अधिकार की भूमि है जिसमे वादी नं. 1 का हिस्सा 67/312, वादी नं. 2 का हिस्सा 545/26208 है तथा प्रतिवादीगण. नं. 1 लगायत 6 का हिस्सा 713/8736, प्रतिवादी नं. 7 का हिस्सा 19/936, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 का हिस्सा 121/468, प्रतिवादी नं. 17 का हिस्सा 1/156, प्रतिवादी नं. 18 का हिस्सा 55/468, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 का हिस्सा 67/468, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 का हिस्सा 19/280, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 का हिस्सा 19/420, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 का हिस्सा 1/42 है तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी दावे के साथ प्रस्तुत है।

वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 की वंशावली निम्नानुसार है :

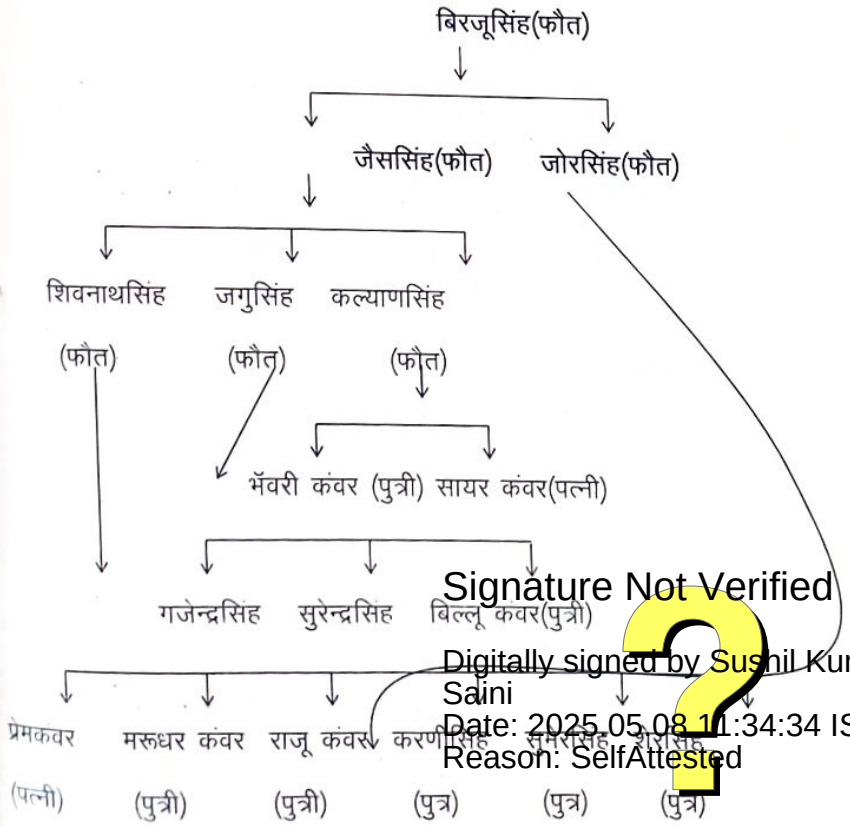

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

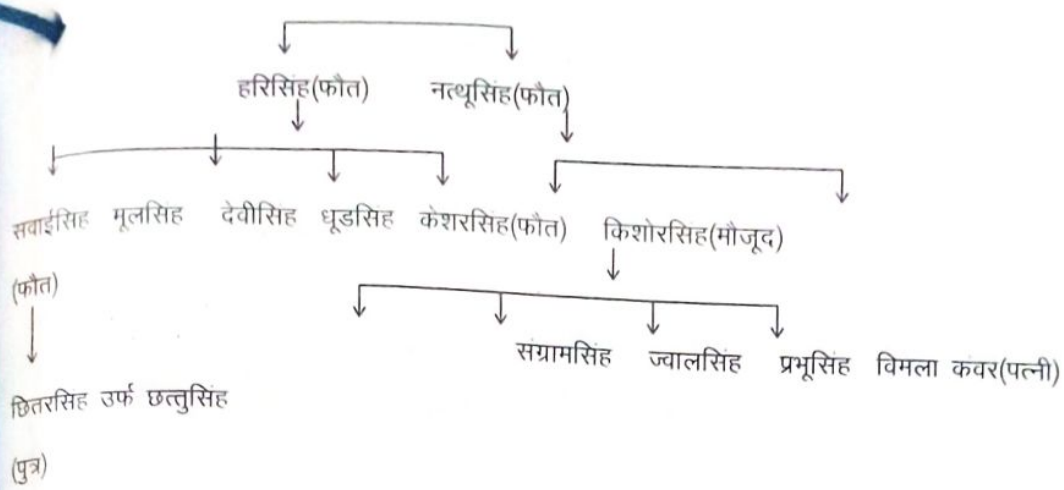

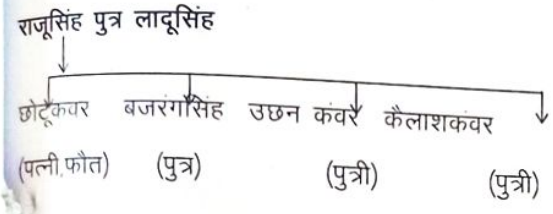

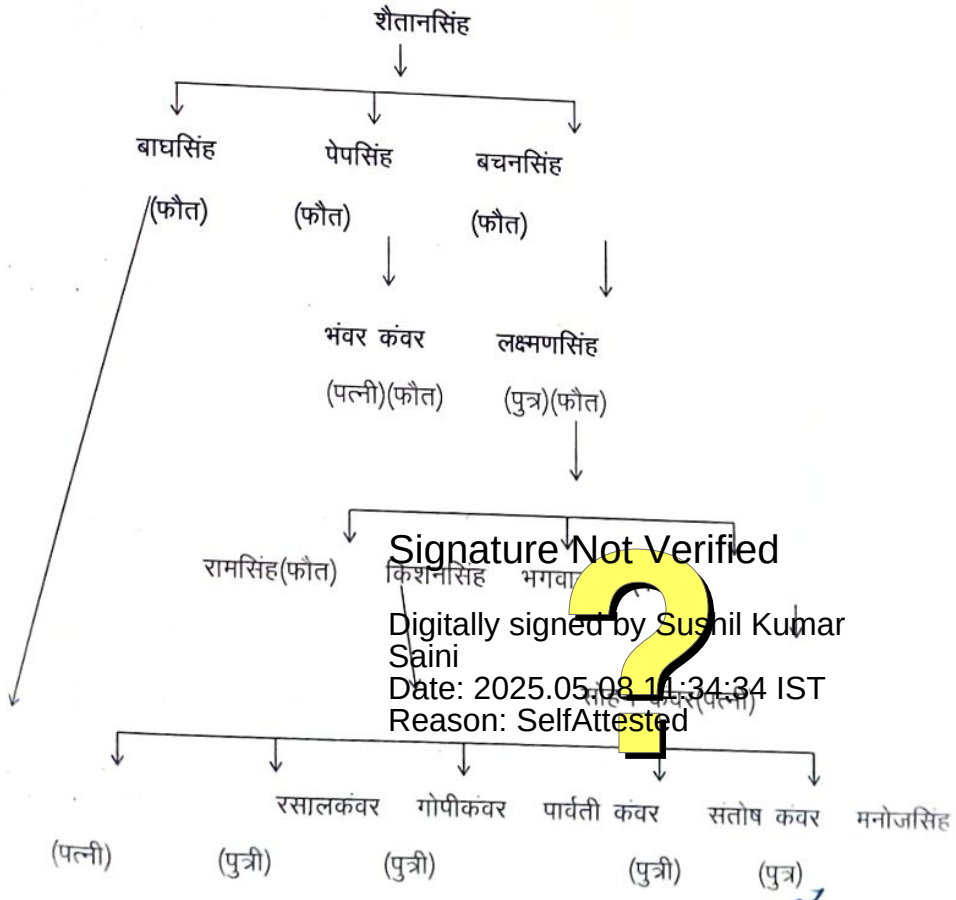

हरिसिंह(फौत) नत्थूसिंह(फौत)

सवाईसिंह (फौत) मूलसिंह देवीसिंह धूडसिंह केशरसिंह(फौत) किशोरसिंह(मौजूद)

छितरसिंह उर्फ छत्तुसिंह (पुत्र)

संग्रामसिंह ज्वालसिंह प्रभूसिंह विमला कंवर(पत्नी)

राजूसिंह पुत्र लादूसिंह

छोटूकंवर (पत्नी,फौत) बजरंगसिंह (पुत्र) उछन कंवर (पुत्री) कैलाशकंवर (पुत्री)

शैतानसिंह

बाघसिंह (फौत) पेपसिंह (फौत) बचनसिंह (फौत)

भंवर कंवर (पत्नी)(फौत) लक्ष्मणसिंह (पुत्र)(फौत)

रामसिंह(फौत) किशनसिंह भगवा...

...कंवर(पत्नी)

(पत्नी)

रसालकंवर (पुत्री) गोपीकंवर (पुत्री) पार्वती कंवर (पुत्री) संतोष कंवर (पुत्र) मनोजसिंह

सी. ई. एम. (फा. द्वि.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

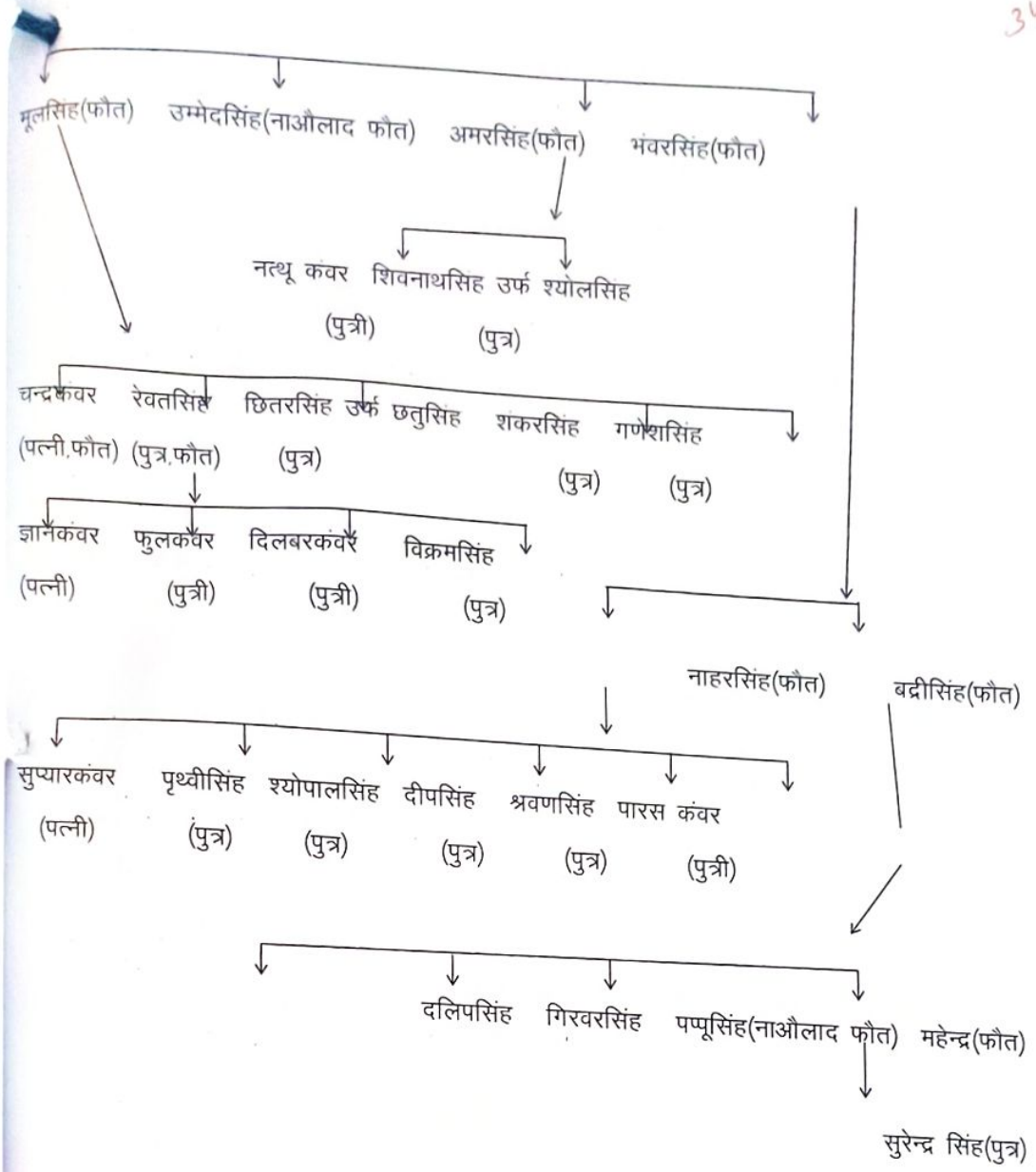

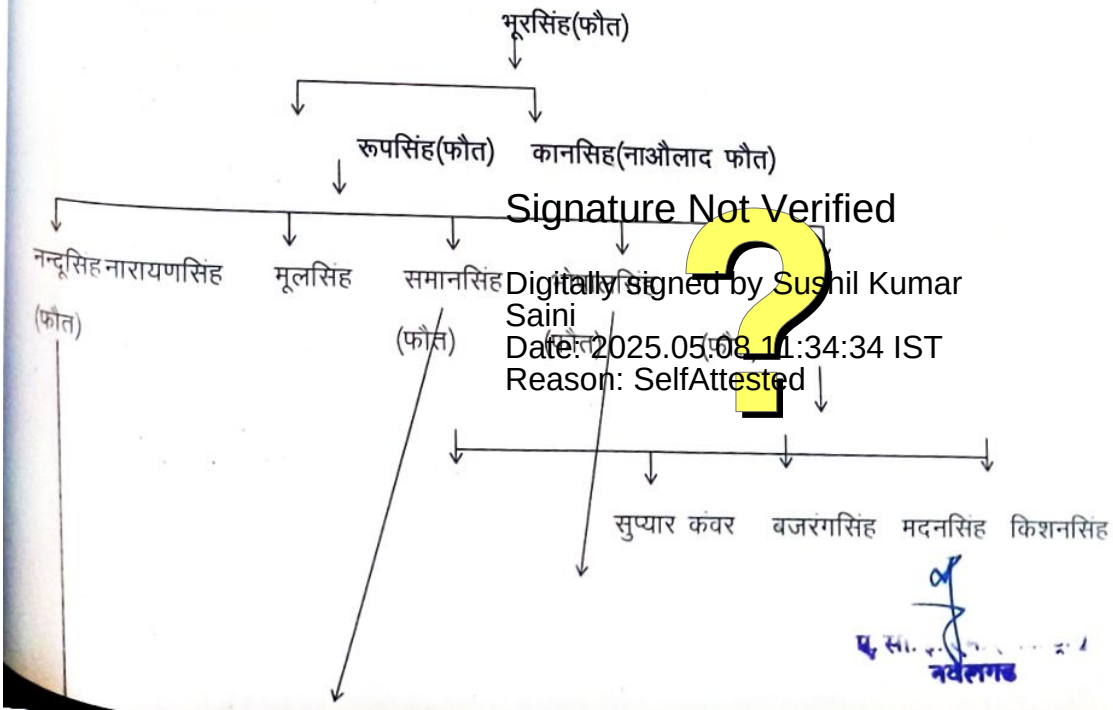

34

मूलसिंह(फौत) उम्मेदसिंह(नाऔलाद फौत) अमरसिंह(फौत) भंवरसिंह(फौत)

नत्थू कंवर (पुत्री) शिवनाथसिह उर्फ श्योलसिह (पुत्र)

चन्द्रकंवर (पत्नी,फौत) रेवतसिंह (पुत्र,फौत) छितरसिंह उर्फ छतुसिंह (पुत्र) शकरसिंह (पुत्र) गणेशसिंह (पुत्र)

ज्ञानकंवर (पत्नी) फुलकंवर (पुत्री) दिलबरकंवर (पुत्री) विक्रमसिंह (पुत्र)

नाहरसिंह(फौत) बद्रीसिंह(फौत)

सुप्यारकंवर (पत्नी) पृथ्वीसिंह (पुत्र) श्योपालसिंह (पुत्र) दीपसिंह (पुत्र) श्रवणसिंह (पुत्र) पारस कंवर (पुत्री)

दलिपसिंह गिरवरसिंह पप्पूसिंह(नाऔलाद फौत) महेन्द्र(फौत)

सुरेन्द्र सिंह(पुत्र)

भूरसिंह(फौत)

रूपसिंह(फौत) **कानसिह(नाऔलाद फौत)**

नन्दूसिंह नारायणसिंह (फौत) मूलसिंह समानसिंह (फौत)

सुप्यार कंवर बजरंगसिंह मदनसिंह किशनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

नवलगढ

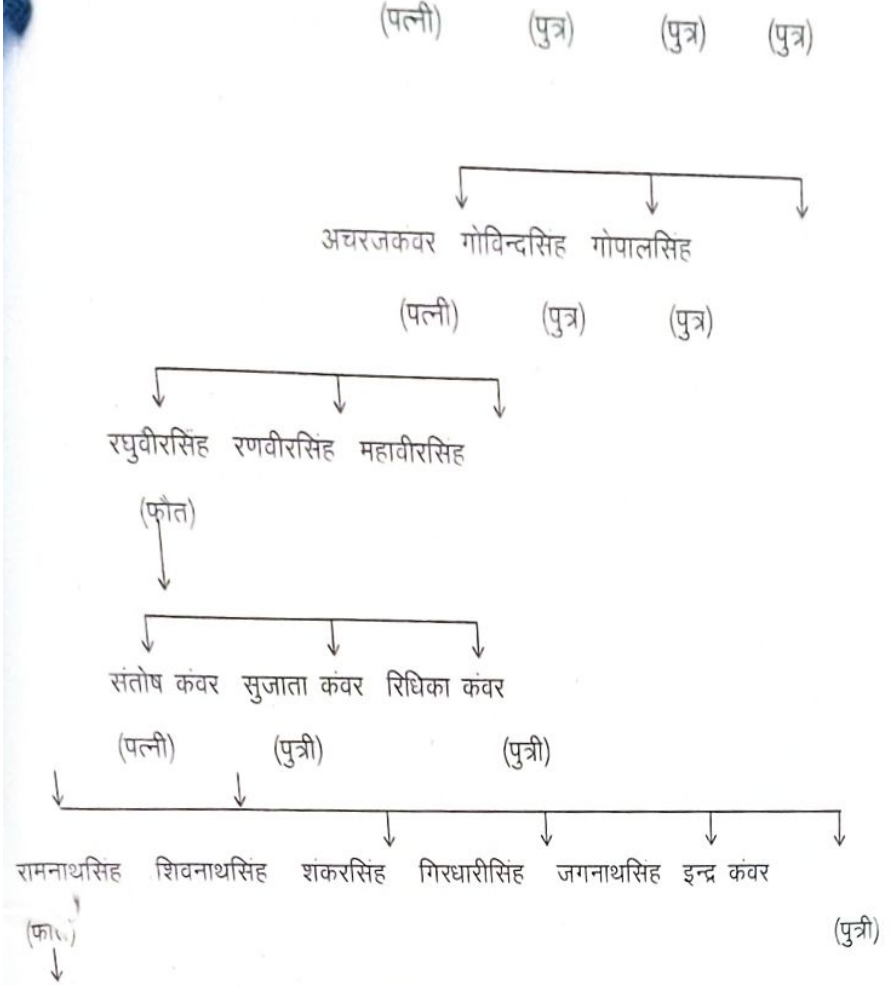

35

(पत्नी) (पुत्र) (पुत्र) (पुत्र)

↓ ↓ ↓

अचरजकंवर गोविन्दसिंह गोपालसिंह

(पत्नी) (पुत्र) (पुत्र)

↓ ↓ ↓

रघुवीरसिंह रणवीरसिंह महावीरसिंह

(फौत)

↓

↓ ↓ ↓

संतोष कंवर सुजाता कंवर रिधिका कंवर

(पत्नी) (पुत्री) (पुत्री)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

रामनाथसिंह शिवनाथसिंह शंकरसिंह गिरधारीसिंह जगनाथसिंह इन्द्र कंवर

(फौत) (पुत्री)

↓

शंकर कंवर (पत्नी)

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 के नाम वाद के पैरा नं. 1 में वर्णित हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चली आ रही थी तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। परन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कई मृतक खातेदारो के नाम गलत रूप से दर्ज चले आ रहे है, उक्त मृतक खातेदारो के स्थान पर उनके वारीसान के नाम नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है तथा कई खातेदारो की वल्दीयत भी गलत दर्ज चली आ रही है, जिस कारण से वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्जशुदा चला रहा है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार भूरसिंह फौत हो चुके है व कानसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है लेकिन उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिनके निकटतम वारीसान में प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 है जिनको स्व0 कानसिंह व स्व0 भूरसिंह के स्थान पर कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 चन्द्र कंवर पत्नी भूरसिंह का [illegible] है लेकिन उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है, जिस[illegible] टाया [illegible]र राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 चन्द्र कंवर के स्थान पर उसके वारीसान वादी नं 2 व प्रतिवादीगण नं. [illegible] का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 छोटू [illegible] का भी स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु जमाबन्दी में उनका नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है [illegible] प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 है, जिनको स्व0 छोटू कंवर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 जोरसिंह व स्व0 जैससिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु जमाबन्दी में उनका नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है, उक्त स्व0 जोरसिंह के वारीसान प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 32 है तथा स्व0 जैससिंह के वारीसान प्रतिवादीगण नं. 33 लगायत 43 है, जिनको उनके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 पप्पू सिंह भी लाऔलाद फौत हो चुका है, लेकिन उसका नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिनके निकटतम वारीसान में प्रतिवादीगण नं. 14 लगायत 16 है जिनको स्व0 पप्पूसिंह स्थान पर कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 बिरजूसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु जमाबन्दी में उनका नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है, जिनके वारीसान प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 है, जिनको उसके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 भगवानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह व स्व0 रामसिह पुत्र लक्ष्मणसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु जमाबन्दी में उनका नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है, स्व0 भगवानसिह के एकमात्र वारीस उसकी पत्नी सोहन कंवर प्रतिवादी नं 18 का नाम भगवानसिंह के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है व स्व0 रामसिंह के वारीसान प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 का नाम रामसिंह के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्व0 रेवतसिंह पुत्र मूलसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु जमाबन्दी में उसका नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है, उक्त स्व0 रेवतसिंह के वारीसान प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 6 है जिनको स्व0 रेवतसिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर मे वादी नं. 1 को हिस्सा 67/312 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 545/26208 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को हिस्सा 713/8736, प्रतिवादी नं. 7 को हिस्सा 19/936, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 को हिस्सा 121/468, प्रतिवादी नं. 17 को हिस्सा 1/156, प्रतिवादी नं. 18 को हिस्सा 55/468, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 67/468, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 को हिस्सा 19/280, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 को हिस्सा 19/420, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 को हिस्सा 1/42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार कानसिंह, चन्द्र कंवर, छोटू कंवर, जैससिंह, जोरसिंह, पप्पूसिंह, बिरजूसिंह, भगवानसिंह, भूरसिंह, रेवतसिंह, रामसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 का नाम घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा के राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम हिस्सा 1/12, उम्मेदसिंह पुत्र बाघसिंह के नाम हिस्सा 1/12, श्योलसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम हिस्सा 1/12 दर्जशुदा था। उक्त बद्रीसिंह पुत्र भंवरसिंह का स्वर्गवास गॉव गोठडा में दिनांक 02.07.2007 को हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र तत्कालिन जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिकारी के द्वारा दिनांक 05.04.2010 को रजिस्टर्ड क्रमांक 19/2010 पर जारी किया हुआ है तथा उम्मेद सिंह पुत्र बाघसिंह का भी स्वर्गवास दिनांक 07.10.2003 को हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र तत्कालिन जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिकारी के द्वारा दिनांक [illegible] को रजिस्टर्ड क्रमांक 38/2010 पर जारी किया हुआ है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 बद्रीसिंह, स्व0 उम्मे[illegible] दर्जशुदा चला आ रहा था व श्योलसिंह पुत्र अमरसिंह (वादी नं. 1) मौजूद है। [illegible] वादी नं. 1 की हिस्सेदारी की भूमि को हडपने के लिये प्रतिवादी नं. 66 ने एक फर्जी, नुमाईशी [illegible] कुटरचित मुख्त्यारनामा उक्त भूमि के संबंध में अपने पक्ष में तैयार किया और [illegible] उसके आधार पर उक्त वर्णित भूमि में से वादी नं. 1, स्व0 बद्रीसिंह व स्व0 उम्मेदसिंह के हिस्से 3/12 का एक फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2020 को अपने हक में उप–पंजीयक कार्यालय नवलगढ में तस्दीक व तकमील करवा लिया तथा उक्त फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2020 को जिनायन बताकर राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी नं. 66 ने अपने नाम से फर्जी नामान्तरण संख्या 2124 दिनांक 06.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्र.)
नवलगढ

को गलत दर्ज करवा लिया, उसको भी जिनायन बताकर उपयोग–उपभोग कर रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है। जबकि न तो प्रतिवादी नं. 66 को वादी नं. 1 ने अपनी हिस्सेदारी की भूमि को विक्रय किया था और न ही कभी अपनी हिस्सेदारी की भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं. 66 को मुख्यार नियुक्त किया था और न ही उक्त स्व0 उम्मेदसिंह व स्व0 बद्रीसिंह ने प्रतिवादी नं. 66 को कभी अपना मुख्त्यार नियुक्त किया था, क्योंकि जब स्व0 उम्मेदसिंह व स्व0 बद्रीसिंह का स्वर्गवास ही उक्त नुमाईशी, कुटरचित मुख्यारनामा की दिनांक से पूर्व हो चुका है तो उक्त लोगो द्वारा प्रतिवादी न 66 को मुख्यार नियुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सिर्फ ओर सिर्फ वादी न. 1, स्व0 बद्रीसिंह, स्व0 उम्मेदसिंह की हिस्सेदारी की भूमि को हड़पने के लिये प्रतिवादी नं. 66 ने ये कुटरचित दस्तावेजात् तैयार किये है, जिससे प्रतिवादी न 66 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त कुटरचित विक्रय–पत्र शुरू से ही शुन्य है तथा उसके आधार पर बना आगे का सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड शुन्य है। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुरू से ही शुन्य व बेअसर घोषित करने विक्रय–पत्र व निरस्त करने नामान्तरण का पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में 1/12 हिस्सा उम्मेद सिंह पुत्र बाघसिंह का था, उम्मेदसिंह पुत्र बाघसिंह के कोई जायन्दा या गोद की संतान नहीं थी, जिस कारण से उसका हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके निकटतम वारीसान में कानूनन विभक्त होना चाहिये था। वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 16 स्व0 उम्मेदसिंह के लाऔलाद स्वर्गवास होने के कारण कानूनन स्व0 उम्मेदसिंह के हिस्सेदारी की भूमि में निकटतम वारीसान की हैसियत से अपना हित रखते है। परन्तु प्रतिवादी न. 66 ने स्व0 उम्मेदसिंह के लाऔलाद स्वर्गवास होने का नाजायज फायदा उठाकर व भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 उम्मेदसिंह का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उसके नाम का एक फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित मुख्त्यारनामा अपने पक्ष में तैयार किया और उस फर्जी मुख्त्यारनामा को जिनायन बताकर उसके आधार पर एक फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2020 को अपने पक्ष में उप–पंजीयक कार्यालय नवलगढ के यहां तस्दीक करवाया। जबकि उक्त फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित मुख्यारनामा की दिनांक से पूर्व ही स्व0 उम्मेदसिंह का स्वर्गवास हो चुका था। उक्त फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित मुख्यारनामा प्रतिवादी नं. 66 ने मृतक व्यक्तियों की हिस्सेदारी की भूमि को हड़पने के लिये उनके नाम से तैयार करवाया था, जो उस फर्जी मुख्त्यानामा की दिनांक से पूर्व ही मर चुके थे व वादी नं. 1 ने कभी प्रतिवादी नं. 66 को ऐसा कोई मुख्त्यारनामा लिखकर नहीं दिया था और न ही वह अपने जीवनकाल में कभी मुख्त्यारनामा में वर्णित पते पर गया था तथा न ही उक्त फर्जी मुख्त्यारनामा में कोई गवाह के हस्ताक्षर, फोटो, नाम वगैरह अंकित है, इस कारण से उक्त मुख्त्यारनामा तो अपने आप में ही एक कुटरचित दस्तावेज है तथा उसके आधार पर बना विक्रय–पत्र व राजस्व रिकॉर्ड भी शुन्य व कुटरचित है। इसलिये वादीगण के लिये दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुरू से ही शुन्य व बेअसर घोषित करने विक्रय–पत्र व निरस्त करने नामान्तरण का पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नं. 66 ने वादीगण की भूमि को हड़पने लिये वादी नं. 1, स्व0 उम्मेदसिंह, स्व0 बद्रीसिंह के नाम से फर्जी व नुमाईशी दो अलग–अलग मुख्त्यारनामे अपने पक्ष में तैयार किये और मृतक व्यक्तियों की फर्जी फोटो, आईडी व हस्ताक्षर करके बिना किन्ही गवाहान [illegible] के उसके आधार पर एक फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित विक्रय–पत्र उप–[illegible] 66 ने अपने पक्ष में तस्दीक करवाया, जिससे प्रतिवादी नं. 66 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त फर्जी, नुमाईशी व कुटरचित विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2020 [illegible] चैक [illegible] दिनांक 26.09.2020 से न तो वादी नं. 1 को कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है और न ही ऐसा कोई चैक वादी नं. 1 ने कभी प्राप्त किया है, सिर्फ प्रतिवादी नं. 66 ने उसकी भूमि को हड़पने के लिये उक्त चैको का वर्णन किया है, वादी नं. 1 ने कभी प्रतिवादी नं. 66 को अपनी हिस्से की भूमि को विक्रय नहीं किया है, जब विक्रय ही नहीं किया है तो चैक प्राप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा स्व0 उम्मेदसिंह व स्व0 बद्रीसिंह का स्वर्गवास ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

कुटरचित मुख्त्यारनामा तथा कुटरचित विक्रय–पत्र के बनने से बहुत पहले हो चुका है तो विक्रय–पत्र में अंकित चैक नं. 001647, 001643 द्वारा उनको प्रतिफल देने का प्रश्न ही अपने आप में झुठा है, उक्त कुटरचित, नुमाईशी विक्रय–पत्र पूर्णतया शुन्य, कुटरचित है जिसको मृतक व्यक्तियों के फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर फर्जी रूप से बिना प्रतिफल के तस्दीक करवाया गया है। इसलिये उक्त कुटरचित, नुमाईशी, फर्जी विक्रय–पत्र वादीगण के अधिकारो के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर है तथा उसके आधार पर बना आगे का सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड शुन्य है। इस प्रकार उक्त विक्रय–पत्र व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरण को शुरू से ही शुन्य व बेअसर फरमाया जाकर वाद के पैरा नं. 3 में दर्ज घोषित खातेदारी अनुसार वादीगण नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुरू से ही शुन्य व बेअसर घोषित करने विक्रय–पत्र व निरस्त करने नामान्तरण का पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर में वादी नं. 1 का हिस्सा 67/312 व वादी नं. 2 का हिस्सा 545/26208 है, जिस पर वादीगण काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है, लेकिन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक व्यक्तियों के हिस्से की भूमि को गलत रूप से प्रतिवादी नं. 65 ने फर्जी विक्रय–पत्र के आधार पर गलत रूप से अपने नाम से दर्ज करवा लिया है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 66 गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादीगण की भूमि के उपयोग–उपभोग में व आने–जाने में बाधा पैदा कर रहा है तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण की हिस्से की भूमि को भूमाफिया गिरोह को विक्रय करने पर आमादा है तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा है, भूमि की किस्म परिवर्तित करने पर आमादा है। जब वादीगण ने दिनांक 18.03.2022 को प्रतिवादी नं. 66 को भूमि के रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने व फर्जी विक्रय–पत्र के बारे में कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मेरे नाम से है, मैंने पहले फर्जी तरीके से मरे हुये खातेदारो के हिस्से तो अपने नाम करवा ही लिये, अब उसके आधार पर तुम लोगो को बेदखल करके इस पूरे खाते की भूमि पर कब्जा करूंगा तथा उसके बाद भू–माफिया गिरोह को विक्रय कर दुंगा, मैं इस भूमि पर प्लॉटिंग करके भूमि की किस्म परिवर्तित कर भूमि को वेस्ट व डेमेज कर दुगा, जिसका प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर प्रतिवादी नं. 66 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो वादीगण को अपारक्षति होगी, जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असम्भव होगा। वादीगण को व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में फंसना होगा, जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। वादीगण अपने हिस्से से वंचित हो जावेगे। इसलिए प्रतिवादी नं. 66 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया आवश्यक व न्यायोचित है कि प्रतिवादी नं. 66 वादग्रस्त भूमि को गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी को विक्रय या दान नही करें, न ही गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि को वेस्ट व डेमेज करें, न ही वादीगण के हिस्से ... कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें, न ही वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा डालें, न ... कार्य करें, ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें अथवा न अपने अधिनस्त किसी ... आदि से करावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 67 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय–पत्र, दान–पत्र न तो स्वंय तस्दीक करे अथवा ... किन्ही कर्मचारियों से तस्दीक करावे। इसी प्रकार प्रतिवादी नं. 68 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व या बाद में कोई अगर विक्रय–पत्र बनवा दिया है तो उसका नामान्तकरण न तो स्वंय तस्दीक करें अथवा न अपने अधिनस्थ किन्ही कर्मचारियो से तस्दीक करावें। वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। ऐसी हालत में वादीगण के लिए यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि :– वादग्रस्त खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि में वादी नं. 1 को हिस्सा 67/312 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 545/26208 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को हिस्सा 713/8736, प्रतिवादी नं. 7 को हिस्सा 19/936, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 को हिस्सा 121/468, प्रतिवादी नं. 17 को हिस्सा 1/156, प्रतिवादी नं. 18 को हिस्सा 55/468, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 67/468, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 को हिस्सा 19/280, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 को हिस्सा 19/420, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 को हिस्सा 1/42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार कानसिंह, चन्द्र कंवर, छोटू कंवर, जैससिंह, जोरसिंह, पप्पूसिंह, बिरजूसिंह, भगवानसिंह, भूरसिंह, रेवतसिंह, रामसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 65 का नाम घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश प्रतिवादी नं. 68 को दिया जावें।

प्रतिवादी नं. 66 के पक्ष में किया गया फर्जी, कुटरचित, शुन्य विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2020 को वादीगण के वैद्य अधिकारो के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर घोषित फरमाया जावें एंव इस आशय की तहरीर उप–पंजीयक, नवलगढ व तहसीलदार, नवलगढ को भिजवाई जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं. 66 इस आशय से फरमाई जावें कि प्रतिवादी नं. 66 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि को गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी को विक्रय या दान नहीं करें, न ही गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि को वेस्ट व डेमेज करें, न ही वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें, न ही वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा डालें, न ही वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें, ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें अथवा न अपने अधिनस्त किसी नौकर–चाकर, प्रतिनिधि, संबंधी आदि से करावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 67 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र, दान–पत्र न तो स्वंय तस्दीक करें अथवा न अपने अधिनस्त किन्ही कर्मचारियों से तस्दीक करावे। इसी प्रकार प्रतिवादी नं. 68 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व या बाद में कोई अगर विक्रय–पत्र बनवा दिया है तो उसका नामान्तकरण न तो स्वंय तस्दीक करें अथवा न अपने अधिनस्थ किन्ही कर्मचारियो से तस्दीक करावें। वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु श्योलसिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 2 नकल नामान्तरण संख्या 2124 प्रदर्श 3 नकल विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2020 प्रदर्श 4 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र उम्मेदसिंह प्रदर्श 05 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि में वादी नं. 1 को हिस्सा 67/312 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 545/26208 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को हिस्सा 713/8736, प्रतिवादी नं. 7 को हिस्सा 19/936, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 को हिस्सा 121/468, प्रतिवादी नं. 17 को हिस्सा 1/156, प्रतिवादी नं. 18 को हिस्सा 55/468, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 67/468, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 को हिस्सा 19/280, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 को हिस्सा 19/420, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 को हिस्सा

प्र. सा. [illegible] नवलगढ

1/42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार कानसिंह, चन्द्र कंवर, छोटू कंवर, जैससिंह, जोरसिंह, पप्पूसिंह, बिरजूसिंह, भगवानसिंह, भूरसिंह, रेवतसिंह, रामसिंह का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393/555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि में वादी नं. 1 को हिस्सा 67/312 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 545/26208 का, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को हिस्सा 713/8736 का, प्रतिवादी नं. 7 को हिस्सा 19/936 का, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 को हिस्सा 121/468 का, प्रतिवादी नं. 17 को हिस्सा 1/156 का, प्रतिवादी नं. 18 को हिस्सा 55/468 का, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 67/468 का, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 को हिस्सा 19/280 का, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 को हिस्सा 19/420 का, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 को हिस्सा 1/42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार कानसिंह, चन्द्र कंवर, छोटू कंवर, जैससिंह, जोरसिंह, पप्पूसिंह, बिरजूसिंह, भगवानसिंह, भूरसिंह, रेवतसिंह, रामसिंह का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा तथा शुरू से ही शुन्य व बेअसर किये जाने नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2020 व निरस्त करने नामान्तकरण सं0 2124 दिनांक 06.01.2021

मुकदमा सं0:–52 / 2022 **(श्योलसिंह बनाम शंकर सिंह आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1393 / 555, 437, 440, 447 रकबा क्रमशः 0.10, 0.36, 0.20, 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि में वादी नं. 1 को हिस्सा 67 / 312 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 545 / 26208 का, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को हिस्सा 713 / 8736 का, प्रतिवादी नं. 7 को हिस्सा 19 / 936 का, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 16 को हिस्सा 121 / 468 का, प्रतिवादी नं. 17 को हिस्सा 1 / 156 का, प्रतिवादी नं. 18 को हिस्सा 55 / 468 का, प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 23 को हिस्सा 67 / 468 का, प्रतिवादीगण नं. 24 लगायत 43 को हिस्सा 19 / 280 का, प्रतिवादीगण नं. 44 लगायत 62 को हिस्सा 19 / 420 का, प्रतिवादीगण नं. 63 लगायत 65 को हिस्सा 1 / 42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार कानसिंह, चन्द्र कंवर, छोटू कंवर, जैससिंह, जोरसिंह, पप्पूसिंह, बिरजूसिंह, भगवानसिंह, भूरसिंह, रेवतसिंह, रामसिंह का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा [illegible]	–
फीस कमिश्नर	–	फी[illegible]	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	[illegible]	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक [illegible]	0.00
कुल	12.00	[illegible]	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:34:34 IST
Reason: SelfAttested